होम आइसोलेशन के लिए पुराने गाइड लाइन का होगा पालन

दूसरी लहर में होम आइसोलेशन से हो चुकी है 4 से 5 मौतें

दुर्ग (चिन्तक)। ओमीक्रान के खतरे की वजह से तीसरी लहर की आशंका के बीच राज्य शासन से लेकर जिला प्रशासन भी एलर्ट मोड पर आ गया है। एहतियात के तौर पर इसकी तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं होम आइसोलेशन के लिए पुरानी गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है। दूसरी लहर मे होम आइसोलेशन में रहे 4 से 5 मरीजों की मौत हो चुकी है।

जानकारी के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर की भयावह स्थिति को जनमानस ने देखा और महसूस किया है। कई भुक्तभोगी भी इस विपदा को अभी तक नहीं भूल पाए है। दूसरी लहर के बुरे दौर के गुजर जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली थी। अब दुबारा इस तरह का दोर देखने को नहीं मिलेगा इस उम्मीद के साथ जनजीवन भी सामान्य होने लगा था।

लेकिन ओमीक्रान के संक्रमण के बढ़ते प्रभाव से एक बार फिर पहले जैसी स्थिति बनने की संभावना है। पिछले कुछ दिनों के अंतराल में कोरोना से प्रभावित मरीजों की संख्या में जो वृद्धि हुई है वह आने वाले दिनों में पैदा होने वाले खतरे का सूचक है। हैरत की बात यह है कि तीसरी लहर की आहट के बाद भी आम लोग सतर्क नहीं हो पाए हैं और असावधानी से काम कर रहे हैं।

होम आइसोलेशन के लिए रहे तैयार

संक्रमण बढ़ने की स्थिति में यह जरूरी नहीं है कि हर प्रभावितों को उपचार के लिए अस्साल में बेड मिले। दूसरी लहर में मरीजों के अनुपात के हिसाब से अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे थे। यदि इस बार भी सक्रमण बढ़ा तो कमोबेश ऐसी स्थिति निर्मित हो सकती है। इसलिए भी होम आइसोलेशन के लिए भी तैयार रहना होगा। पिछली बार दूसरी लहर में 85 हजार लोग होम आइसोलेशन में थे। इसके लिए पुरानी गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है।

4 से 5 लोग घर में ही उपचार के दौरान हुए कालकवलित

होम आइसोलेशन में किस तरह के मरीजों को रखा जाता है इसके लिए मापदण्ड बनाए जाने की आवश्यकता है। पिछली बार होम आइसोलेशन मे रहे 4 से 5 मरीजों की मौत हुई थी। प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग द्वारा होम आइसोलेशन प्रभारी के नाम पर अलग चिकित्सक की नियुक्ति की जाती है लेकिन पिछली बार हुई 4 से 5 लोगों की मौत से यह जरूर जाहिर हो गया है कि होम आइसोलेशन प्रभारी का काम संतोषजनक नहीं रहा है। होम आइसोलेशन मे रहे कई मरीजों ने बताया है कि उनकी कभी पूछ परख नहीं की गई है।

गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर होगी कार्यवाही-सीएमओ

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गंभीर सिंह ठाकुर का कहना है कि होम आइसोलेशन के लिए जो पुरानी गाइडलाइन जारी की गई है उसका पालन करना अनिवार्य है। इसका पालन करने में गड़बड़ी की शिकायत मिली तो कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

होम आइसोलेशन के लिए पांच उपकरण जरूरी

वर्तमान में कोरोना दो सौ गुना तेजी से बढ़ रहा है। जाहिर है होम आइसोलेशन की स्थिति बनेगी। इसके लिए पांच उपकरण का घर में होना जरूरी है। इसमें पहला उपकरण यूवी स्टरलाईट बाक्स है जो एक हजार रुपये में आता है। यह उपकरण हवा में बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करता है। दूसरा उपकरण ऑक्सीमीटर है जो 800 रुपये में आता है। इससे पल्स व ऑक्सीजन की मात्रा का पता लगाया जाता है। तीसरा उपकरण पोर्टिबल ऑक्सीजन केलिस्टर है जो 500 रुपये में आता है। इससे ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जाता है। चौथा उपकरण बीपी मशीन है। कोरोना से प्रभावित मरीजों का ब्लड प्रेशर भी घटता-बढ़ता है जिसकी जांच इस उपकरण से किया जाता है। यह मशीन एक हजार रुपये में मिलता है। पांचवां उपकरण कोविड 19 रैपिड एंटीजन सेल्फटेस्ट कीड है। यह 250 रुपये में आती है। कोविड की अधिकता के कारण जो लोग टेस्ट के लिए केन्द्रों में नहीं पहुंच पाते वे इसके माध्यम से घर बैठे टेस्ट कर सकते हैं।

लोक लुभावना होगा इस बार का बजट

10 प्र.श. वृद्धि इंफ्रास्ट्रक्चर के बजाय लोगों से जुड़ी योजनाओं पर फोकस

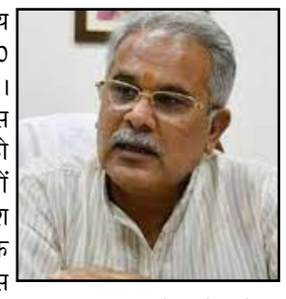

रायपुर (चिन्तक)। नए वित्तीय वर्ष में राज्य के बजट में आकार 10 हजार करोड़ तक बढ़ जाएगा। हालांकि इसमें सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर के बजाय हितग्राहियों को सीधे लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं पर फोकस रहेगा। सीएम भूपेश बघेल की मंत्रियों के साथ चर्चा के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। इस साल चुनावी बजट होने के कारण लोक लुभावन होने के संकेत हैं।

छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा चुनाव है। इससे पहले 2022-23 का बजट काफी महत्वपूर्ण होगा। इसमें सरकार घोषणा पत्र की ज्यादातर योजनाओं को पूरा करने की कोशिश करेगी। हालांकि अभी भी विभागों को दिल खोलकर फंड देने के बजाय सिर्फलोगों को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाली योजनाओं पर ही सरकार का फोकस रहेगा। मंत्री स्तरीय चर्चा के दौरान सीएम बघेल एक-एक मंत्री से मिले प्रस्ताव और उससे प्रभावित होने वाले लोगों पर बात करेंगे। दरअसल, कोरोना के बाद राज्य की आर्थिक स्थिति अभी तक संभली नहीं है। केंद्र सरकार से जो राशि मिलनी थी, वह भी बकाया है, इसलिए राज्य अपने संसाधनों को ध्यान में रखकर योजनाएं लाएगी।पीएम आवास योजना की तरह राज्य सरकार सीएम आवास योजना लांच कर सकती है। इसके लिए राज्य की गारंटी पर पंचायतों को फंड उपलब्ध कराया जाएगा। दरअसल, योजनाओं में केंद्र से जो राशि मिलती थी, उसमें राज्य की हिस्सेदारी बढ़ा दी गई है। जिन योजनाओं में केंद्र-राज्य का हिस्सा 85:15 होता था, उसे 60:40 कर दिया गया है। पीएम सड़क योजना के लिए पहले केंद्र सरकार पूरी राशि देती थी। इसे 60:40 कर दिया गया है। पीएम आवास के लिए 70:30 से 60:40 कर दिया गया है। ऐसी आधा दर्जन से ज्यादा महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जिसमें कटौती की गई है। इससे राज्य पर बोझ बढ़ गया है। वित्त विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सीएम 10 से 12 जनवरी के बीच मंत्रियों से चर्चा करेंगे।

लड़की का अपहरण व दुष्कर्म कोर्ट ने सुनाया 20 साल की सजा

बिलासपुर(चिन्तक)। सहेलियों के साथ गुपचुप खाने निकली लड़की बहला -फुसला कर साथ ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है।

मिली जानकारी के मुताबिक बिलासपुर जिले के सरकंडा थाना अंतर्गत अशोक नगर मुरुम खदान के पास रहने वाले युवक धर्मेंद्र यादव 22वर्ष के साथ एक 15 साल की लड़की से जान पहचान हो गया था। धर्मेंद्र ने उससे दोस्ती की और उसे प्रेमजाल में फंसा लिया। दो साल पहले किशोरी अपने घर से सहेलियों के साथ गुपचुप खाने के लिए निकली थी। तभी रास्ते में धर्मेंद्र मिला और उसे बहला कर अपने साथ ले गया। किशोरी जब शाम तक अपने घर नहीं लौटी तब परिजन ने उसकी तलाश करने निकले। लड़की नहीं मिलने पर परिजनों ने सरकंडा थाना में मामला दर्ज कराई। पुलिस अपहरण की आशंका से मामले की जांच कर रही थी। तब पता चला कि धर्मेंद्र उसे अपने साथ ले गया है। पुलिस ने धर्मेंद्र को पकड़ लिया और किशोरी को उसके परिजन को सौंप दिया। पीड़ित लड़की का बयान दर्ज करने पर उसके साथ दुष्कर्म का राज खुला।

दुर्ग-गोंदिया मेमू सहित 8 ट्रेनें रहेंगी रद्द

रायपुर (चिन्तक)। नागपुर रेल मंडल के राजनांदगांव और कलमना के बीच तीसरी लाइन को भंडारा स्टेशन से जोड़ा जाएगा। इसके लिए नान इंटरलाकिंग ब्लाक लिया जा रहा है। इसकी वजह से बिलासपुर से नागपुर जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस, दुर्ग-गोंदिया मेमू ट्रेन समेत 8 ट्रेनें रद्द रहेंगी।

जारी आदेश के अनुसार 7 से 11 जनवरी तक दुर्ग-गोंदिया मेमू, गोंदिया-इतवारी मेमू, ईतवारी-गोंदिया मेमू, गोंदिया-दुर्ग, इतवारी-बिलासपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस, बिलासपुर-इतवारी इंटरसिटी एक्सप्रेस और इतवारी-गेवरा रोड एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 6 से 10 जनवरी तक गेवरारोड-इतवारी एक्सप्रेस रद्द रहेगी। साथ ही 8 जनवरी को निजामुद्दीन से विशाखापटनम जानेवाली समता एक्सप्रेस को नागपुर और भंडारा स्टेशन के बीच 35 मिनट तक नियंत्रित किया जाएगा। इस प्रकार ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा।

सेलूद में मारपीट व बलवा की घटना

मुख्य आरोपी उपसरपंच फरार, दो आरोपीयो को गिरफ्तार कर जेल भेजा

उतई(चिंतक)उतई थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम सेलूद के बजरंग चौक में शराब पीने पिलाने के मामले को लेकर मारपीट व बलवा की घटना हो गई। जिसमें आठ आरोपियों के खिलाफ़ उतई पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है । अभी तक दो आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है ।उतई पुलिस ने बताया कि ग्राम सेलूद के वार्ड क्रमाक 9 बजरंग चौक निवासी युवा ब्यवसाई सतीश साहू पिता सुरेन्द्र साहू उम्र 38 साल रात्रि लगभग 7,30 बजे अपने दुकान में बैठे थे।तभी उपसरपंच चंचल यादव द्वारा शराब पीने पिलाने को लेकर विवाद किया।इसके बाद सतीश साहू के दुकान में रखे पैसे लूटने के साथ ही अन्य आरोपियों ने भी मारपीट की। सभी आरोपी बेदम पिटाई करके फरार हो गए।पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए मारपीट के आरोपी विकास ठाकुर व हितेश ठाकुर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है ।मुख्य आरोपी उपसरपंच चंचल यादव की सरगर्मी से तलाश कर रही है । मारपीट व बलवा करने वाले आरोपियों में प्रमुख रूप से चंचल यादव, भागवत बंछोर,मोहित ठाकुर ,रविकांत यादव, नीतीश यादव, तारेंन्द्र यादव,हितेश ठाकुर व विकास ठाकुर मुख्य हैं। जिनके खिलाफ उतई थाना ने धारा क्रमाक 137, 294, 323, 506, 327,427, 456 के तहत कार्यवाही की है।

कालीचरण को महाराष्ट्र पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड पर लिया

रायपुर (चिन्तक)। महात्मा गांधी को गाली देने और साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोपों में बंद स्वयंभू संत कालीचरण की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कालीचरण को अब महाराष्ट्र पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड पर लिया है। महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारी कालीचरण को लेकर पुणे रवाना हो गए। उसे गुरुवार को ठाणे कोर्ट में पेश किया जाना है।

दो दिन से रायपुर में जमी महाराष्ट्र की पुणे पुलिस ने जिला एवं सत्र न्यायालय में कालीचरण की ट्रांजिट रिमांड मांगी थी। उनका कहना था, आरोपी के खिलाफ उनके यहां भी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है। आरोपी से पूछताछ के लिए उसकी रिमांड जरूरी है। मंगलवार को अदालत ने महाराष्ट्र पुलिस की ट्रांजिट रिमांड की अर्जी स्वीकार कर ली। आदेश लेने के बाद महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारियों ने रायपुर सेंट्रल जेल में आदेश जमा किया और कालीचरण को अपनी रिमांड पर लिया है। उसे लेकर पुलिस सड़क के रास्ते महाराष्ट्र रवाना हो गई।महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारियों को परेशानी ना हो, इसलिए रायपुर पुलिस के अधिकारियों ने दो फॉलो टीम को बार्डर तक महाराष्ट्र पुलिस की टीम के साथ भेजा है।

रायपुर पुलिस ने संत कालीचरण को 30 दिसम्बर को गिरफ्तार किया था। बाद में पुलिस ने उसे 13 जनवरी तक के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। कालीचरण को ले गई महाराष्ट्र पुलिस:रायपुर कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद सेंट्रल जेल से ले गई पुलिस, 13 जनवरी से पहले वापस लाना है

बिलासपुर हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला

शुभ मुहूर्त के नाम पर 11 साल ससुराल नहीं गई पत्नी

रायपुर (चिन्तक)। छत्तीसगढ़ में एक महिला शुभ मुहूर्त के नाम पर 11 सालों तक अपनी ससुराल जाने से इनकार करती रही। मामला कोर्ट पहुंचा तो न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी और रजनी दुबे की बेंच ने इसे परित्याग का मामला मानते हुए हिंदू मैरिज ऐक्ट के तहत इसे भंग कर दिया। कोर्ट ने ऐक्ट के तहत तलाक को मंजूरी भी दे दी।

दरअसल संतोष सिंह नामक शख्स ने फैमिली कोर्ट में परित्याग के आधार पर तलाक के लिए याचिका डाली थी। कोर्ट ने इस आधार पर तलाक देने से इनकार

करते हुए याचिका को खारिज कर दिया था। जिसके बाद संतोष ने हाईकोर्ट में तलाक की गुहार लगाई थी। याचिका में संतोष ने कहा था कि 2010 में शादी के बाद उसकी पत्नी सिर्फ11 दिन उसके साथ रही और फिर मायके चली गई। वहां से उसने अपनी पत्नी को कई बार वापस लाने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार शुभ मुहूर्त न होने की बात कहकर आने से इनकार करती रही। वहीं पत्नी का कहना था कि उसका पति शुभ मुहूर्त पर उसे लेने नहीं आया, जिसकी वजह से वह ससुराल नहीं जा पाई। पत्नी ने यह भी कहा कि उसने अपने पति को छोड़ा नहीं है, वह बस अपने रिवाजों का पालन कर रही थी।

इसपर कोर्ट ने कहा कि शुभ मुहूर्त किसी परिवार के सुखी समय के लिए होता है लेकिन इस मामले में इसे एक बाधा के उपकरण के तौर पर प्रयोग किया गया है। कोर्ट ने विवाह को भंग करते हुए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(आईबी) के तहत तलाक की डिक्री को मंजूरी दी। अपने आदेश में कोर्ट ने यह भी कहा है कि फैक्ट्स के मुताबिक, पत्नी अपने पति को पूरी तरह से छोड़ चुकी थी, इसलिए तलाक पति का हक है।

न्यू आदर्श नगर में डेयरियों से बढ रही है गंदगी

दुर्ग (चिन्तक)। न्यू आदर्श नगर वार्ड 53 की सड़क क्रमांक 6 में संचालित डेयरियों से क्षेत्र में गंदगी लगातार बढ रही है। बताया गया है कि सड़क क्रमांक-6 के आखरी छोर में तथा नाले के उस पार दो डेयरियां संचालित है। इन दोनो डेयरियों में 50 से अधिक गाय भैंस है जिसके कारण आसपास के क्षेत्र में गंदगी का साम्राज्य स्थापित हो गया है। इन दोनो डेयरियों को गोकुल नगर में विस्थापित करने नगर निगम द्वारा कोई पहल नही की जा रही है।

जानकारी के अनुसार न्यू आदर्श नगर वार्ड 53 की सड़क क्रमांक 6 के आखरी छोर में एक डेयरी पिछले कई वर्षो से संचालित है। इस डेयरी में एक दर्जन से अधिक गाय व भैंस है। रिहायसी क्षेत्र में संचालित इस डेयरी को गोकुल नगर में विस्थापित करने की कोई पहल नही की गई है। परिणाम स्वरूप इसका खामियाजा वार्डवासियों को भुगतना पड़ रहा है। क्षेत्र के लोगो ने इस संदर्भ में कहा कि डेयरी संचालक द्वारा गाय व भैंस जानवरों को दूध निकालने के बाद दिन भर के लिए खुले रूप से विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता है। फलस्वरूप ये जानवर सड़को व गलियों में बेधड़क घूमकर केवल जगह जगह गंदगी फैलाते है बल्कि आसपास के घरो मे किए गए वृक्षारोपण को भी तहस नगर कर जालियो को तोड़ देते हैं। न्यू आदर्श नगर के कई मकानो के बाहर पेड़ो को

खुले रूप से विचरण करते जानवर कर रहे हैं तोड़फोड़ आयुक्त से व्यक्तिगत रूचि लेकर पहल करने की मांग

सुरक्षित रखने के लिए लगाई गई जालियों को इन जानवरो द्वारा तोड़ दिया गया है। इसके अतिरिक्त इन जानवरो के बेखौफ विचरण से दुर्घटना की संभावना भी बनी रहती है।

इसी तरह सड़क क्रमांक-6 में नाले के उस पार मीनाक्षी नगर की ओर जाने वाली सड़क में भी एक डेयरी संचालित है। जिसमें जानवरो की संख्या तीन दर्जन के आसपास बताई गई है। इस डेयरी की वजह से आसपास का पूरा क्षेत्र गंदगीमय हो गया है। इस डेयरी के संचालक द्वारा भी जानवरो को खुले रूप से विचरण के लिए छोड़ दिया जाता है। क्षेत्र के नागरिको ने निगम आयुक्त हरेश मंडावी से व्यक्तिगत रूचि लेकर पहल करने की मांग की है।

विस्फोटक सामग्री के साथ 2 नक्सली सदस्य गिरफ्तार

सुकमा (चिन्तक)। जिले में चलाये जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत थाना चिंतागुफा अन्तर्गत चिंतागुफा व बुरकापाल के मध्य टी-पाईंट के पास जंगल से जिला पुलिस बल, एसटीएफ एवं 150 वीं वाहिनी सीआरपीएफ ने घेराबंदी कर ग्राम गोगुण्डा निवासी

गिरफ्तार नक्सलियों के निशानदेही पर 01 नग टिफिन बम लगभग 05 किग्रा. का वजनी, 02 नग इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, कोर्डेक्स वायर 02 मीटर, 02 नग जिलेटिन रॉड बरामद किया गया। बरामद सामग्री को थाना लाकर कार्यवाही करते हुये आज न्यायालय सुकमा के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमांड में जेल दाखिल किया गया।

गिरफ्तार दोनो नक्सलियों 01. हेमला हड़मा पिता हेमला मासा उम्र 24 वर्ष साकिन गोगुण्डा थाना केरलापाल, 02. हेमला नंदा पिता हेमला बोज्जा उम्र 25 वर्ष साकिन गोगुण्डा थाना केरलापाल प्रतिबंधित नक्सली संगठन में वर्ष 2016 से मिलिशिया सदस्य के रूप में सक्रिय थे। दोनों नक्सलियों ने पूछताछ मे बताये की वर्ष 2020 में बुरकापाल के पास सुरक्षाबलों को जान से मारने की नीयत से आईईडी लगाये थे, जिसे सुरक्षाबलों द्वारा उक्त आईईडी को बरामद कर विस्फोट किया गया था, तथा 01 नग आईईडी व विस्फोट पदार्थ को पत्थर के नीचे जमीन में दबाकर कर रखना बताये। घटना के संबंध में थाना चिंतागुफा में अपराध क्रमांक 19/2020 धारा 307, 120 (बी) भादवि. 4, 5 विप.अधि. के तहत प्रकरण दर्ज है।

स्वामी, मुद्रक,प्रकाशक, सुनील गुप्ता, द्वारा वैभव पब्लिकेशन - स्टेशन रोड दुर्ग (छत्तीसगढ) 491001 से मुद्रित कर स्टेशन रोड दुर्ग (छत्तीसगढ) 491001 से प्रकाशित - संपादक-सुनील गुप्ता। E-mail-dainikchintak @ yahoo.com ,दूरभाष 4010272 मो. 9827116751